ग्राम पंचायत, भाणत, विकास खण्ड राजगढ़ ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-I

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच -एचसी-(5) सी (15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत , **ग्राम पंचायत , भाणत, विकास खण्ड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर** के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्री विनोद तोमर	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्रीमती आशा देवी	23.01.2016 से निरन्तर

सचिव:-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री विक्रम ठाकुर	01.04.2014 से 21.03.2017
2.	श्री अमर वर्मा	22.03.2017 से निरन्तर

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :- ग्राम पंचायत, भाणत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा नं	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	गृहकर की वसूली शेष	0.15
2	8	अनुदान का उपयोग न करना	11.20

3	9	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ही सामग्री का क्रय	7.00
4	11	जे.सी.बी चार्जिज का अनियमित भुगतान	1.36
5	12(i)	निर्माण कार्यो के मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	33.07
6	12(ii)	तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय,	0.39
7	12(iii)	तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक भुगतान	0.24
8	13(i)	रोकड़ बही में दर्ज व्यय तथा ऑनलाइन भुगतान में भारी अन्तर	12.00
9	13(ii)	मनरेगा की रोकड़ बही में भुगतान दर्ज न करना	20.16
10	14(i)	बिना उचित बिल/वाउचर के अनियमित व्यय	1.36

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भाणत , विकास खण्ड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक **16.03.18, 17.03.18 तथा 19.03.18 से 22.03.2018** को ग्राम पंचायत भाणत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है;

वर्ष	**आय माह**	**व्यय माह**
2014-15	07/2014	07/2014
2015-16	03/2016	05/2015
2016-17	12/2016	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण

प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत भाणत , विकास खण्ड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/राजगढ़/2017-18-24 दिनांक **22.03.2018** द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भाणत से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत भाणत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत भाणत के अवधि 01/4/201 4 से 31/3/201 7 की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:- **"परिशिष्ट-1"**

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	-----	162412.00	162412.00	23017.00	139395.00
2015-16	139395.00	82319.00	221714.00	20265.18	201448.82
2016-17	201448.82	51274.80	252723.62	45203.00	**207520.62**

नोट:- सचिव ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से सम्बंधित आय-व्यय को भी सामान्य निधि के बैंक खाते में ही लेन देन किया था तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारम्भिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए जबकि, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर रखे जाने का प्रावधान है | अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत भाणत के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-2A}** मे भी दिया गया है ।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	1057707.78	1622259.00	2679966.78	1998949.00	681017.78
2015-16	681017.78	1334970.00	2015987.78	1427332.00	588655.78
2016-17	588655.78	1619964.00	2208619.78	1088794.00	1119825.78

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्राम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है|

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:-

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है | जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही **(वितीय स्थिति)** तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार **₹26** का अन्तर पाया गया, जिसका मिलान किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए| भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों का नियमानुसार बैंक खातों के साथ मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	207520.62	1
2.	अनुदान	1119825.78	2
3.	कुल शेष राशि	1327346.40	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि व हस्तगत राशि	1350283.40	4
5.	कुल अन्तर	22937.00	
6.	परिशिष्ट अनुसार अन्तर	22911.00	5
7.	शेष अन्तर	**26.00**	

(ii) रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई रोकड़ बहियां तथा खाताबहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। इसमें न तो कोई इति शेष था और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती | ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा तुलनपत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ बही एवं खाता बहियों का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए|

6 स्वयं के स्त्रोत से आय कीनियमित वसूली न करना:-

ग्राम पंचायत को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित न करना है, क्योकि उक्त दरों के निर्धारण से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए | यद्यपि, सचिव ग्राम पंचायत भाणत द्वारा उनके पत्र क्रमांक:GP/Bht-2017-18-213 दिनांक 22.03.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गयी दर्शायी गई है;

"परिशिष्ट-6" क्रमांक 1

नं	आय का साधन	दरें	विवरण
1	House Tax	50/-	2014-15
		50/-	2015-16
		50/-	2016-17
2	Guchhi Royality	10% on sale amount	Govt. approved rates
3	Land Revenue	As per Govt. approved rates	3 revenue villages but no receipt during audit period

4	Marriage Registration fees	10/-	3 Oct,2016 and thereafter
		200/-**{BPL 25/-}**	Regst. within 30 days
		400/-**{BPL 50/-}**	Regst. within 90 days
5	Certificate fee	10/-	----------
6	Liquor cess	-------	As per govt. rates

अतः पंचायत निधि को प्राप्त होने वाली नियमित आय की वसूली दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदानुसार ही इन करों/शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए |

7 पंचायत राजस्व ₹0.15 लाख वसूली हेतु शेष:-

(i). गृहकर की ₹0.15 लाख की वसूली शेष:-

सचिव ग्राम पंचायत भाणत द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या : जी.पी.ऑडिट/राजगढ़/भाणत/2017-18-3 दिनांक 16/03/2018 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक :GP/Bht.-/2017-18-213 दिनांक 22/03/2018 द्वारा गृहकर की शेष वसूली के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 को निम्नतालिकानुसार गृहकर की **₹15,445** वसूली योग्य शेष थी, जिसकी शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

"परिशिष्ट-6" क्रमांक 2

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
2013-14	280	50/-	14000/-	------	14000/-
2014-15	282	50/-	14100/-	255/-	27845/-
2015-16	295	50/-	14750/-	41000/-	1595/-
2016-17	309	50/-	15450/-	1600/-	15445/-
गृहकर की वसूली योग्य राशि			**58300/-**	**42855/-**	**15445/-**

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा आय की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एंवम वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृहकर शुल्क , गुच्छी पर प्राप्त होने वाली **royality** तथा पंचायत को अन्य करों/शुल्कों से प्राप्त होने वाली आय का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका | अतः पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए

वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके सम्बन्धित से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये | इसके अतिरिक्त भविष्य में **"मांग एंवम वसूली पंजी"** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय राशि का तुरन्त बोध हो सके|

(ii) स्वःस्त्रोत/विविध शुल्क से प्राप्त राशि को ₹150 कम जमा करना:-

चयनित माह में आय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया की माह 2016 में रसीद बुक नंबर 1951 के रसीद संख्या 61 से 82 द्वारा विविध शुल्क की ₹570 की प्राप्त राशि रोकड़ बही में ₹420 ही दर्ज पाई गई, अतः ₹150 कम जमा करवाई गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूली कर पंचायत निधि में तुरन्त जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(iii) स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को पंचायत निधि में विलम्ब से जमा करवाना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत को स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को पंचायत कोष में नियमानुसार तुरन्त जमा न करवाकर प्राप्त राशि का अस्थायी दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है जोकि नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित व् आपतिजनक है| अतः प्राप्त राशि को विलम्ब से जमा करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, तथा भविष्य में पंचायत को प्राप्त होने वाली आय की राशि को नियमानुसार निधि में तुरन्त जमा करना भी सुनिश्चित किया जाए| उपरोक्त बारे ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है;

रसीद संख्या	प्राप्ति की तिथि	जमा करने की तिथि	जमा करने में विलम्भ	प्राप्त राशि
प्राप्त आय का स्त्रोत:- गृहकर				
1954 (1-100)	12.02.16 से 18.02.16	03.03.2016	12 से 18 दिन	14500/-
1955 (1-100)	09.02.16 से 12.02.16	03.03.2016	18 से 21 दिन	14900/-
1956 (1-62)	18.02.16 से 24.02.16	18.03.2016	22 से 28 दिन	9950/-
प्राप्त आय का स्त्रोत:- गुच्छी पर प्राप्त रोयेलिटी राशि				
2119/86	11.04.2016	27.12.2016	261 दिन	2000/-
1951/81	04.09.2016	27.12.2016	114 दिन	1000/-

8 अनुदान राशि ₹11.20 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹11,19,825** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था , जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये |

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना₹7.00 लाख की सामग्री का क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है जिसके अनुसार ₹**1000** से अधिक तथा ₹**50,000** से कम राशि के क्रय हेतु **कोटेशन्स (Quotations)** आमंत्रित किया जाना तथा ₹**50,000** से अधिक राशि के क्रय हेतु **निविदा आमंत्रित (Tenders)** किए जाने का प्रावधान है , ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके | परन्तु ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही अंकेक्षण अवधि में **परिशिष्ट-7** अनुसार ₹700300 की स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है जिसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10 क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की प्रविष्टि न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है| परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु अंकेक्षण अवधि में **परिशिष्ट-7** अनुसार ₹700300 की क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं गई थी | अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए क्रय की गई प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए|

11 जे.सी.बी चार्जिज का ₹1.36 लाख का अनियमित भुगतान:-

(i). अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर उपयोग में लाकर निम्नतालिकानुसार **₹1,36,125** का भुगतान निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया, जोकि उपरोक्त **पैरा संख्या:9** में वर्णित नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है, इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व किये गए भुगतान को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना को दिखाई जाए|

जे.सी.बी चार्जिज के ₹1,36,125 के अनियमित भुगतान का ब्यौरा

नं	फर्म का नाम	बिल व् दिनांक	घन्टे	दर	कुल भुगतान
BRGF					
निर्माण सम्पर्क मार्ग कोटी से थोला					
1	J.T. Motors	320/ 05/2015	47.5	750/-	35625/-
निर्माण सम्पर्क मार्ग मानवा से मनलोग					
2	------do------	324/ 05/2015	134	750/-	100500/-
			181.5	**750/-**	**136125/-**

(ii). इसके अतिरिक्त **जे.सी.बी** द्वारा **करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक** द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई , जिस बारे औचित्य स्पष्ट

किया जाये तथा उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

(iii). उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिज का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतीयां जैसे **आयकर, सेल्स टैक्स, लेबर सेस तथा प्रतिभूति राशि इत्यादि** की कटौती नहीं की गई थी, जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से संवैधानिक कटौतीयां की जानी वांच्छित थी| अतः उक्त कटौतियों को सम्बंधित बिल से न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतीयां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

12 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:-

(i) निर्माण कार्यो पर खर्च ₹33.07 लाख के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान संलग्न **{परिशिष्ट-8}** पर दर्शाए गए ₹3307105 के निर्माण कार्यों के तकनीकी मुल्यांकन से सम्बन्धित प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में किया गया व्यय भुगतान सही था अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी| अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अपेक्षित आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

अनुदान	भुगतान
GENERAL HEAD	596907/-
BRGF	708400/-
MGNREGA	1454270/-
14th FC	347528/-
IWMP	200000/-
Total:-	**3307105/-**

(ii) तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय कर ₹0.39 लाख का अधिक भुगतान:-

निर्माण कार्यों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों में तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री की

मात्रा की खरीद कर निम्नतालिकानुसार **₹39,251** का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए:-

निर्माण सामग्री का नाम	**सामग्री की क्रय की गई मात्रा/राशि**	**सामग्री की मूल्यांकित मात्रा**	**अधिक क्रय की गई मात्रा**	**क्रय दर**	**राशि का अधिक आहरण/व्यय**
सामान्य (MLA):-निर्माण स्टेज GSSS, फागु				**MB-333 पृष्ठ-43-44**	
सीमेंट	60 बैग्स	48 बैग्स	12	270/-	3240/-
रेत	7.08 cum	6.64cum	0.44	2120/-	933/-
बजरी	5.66 cum	3.91cum	1.75	2120/-	3710/-
पत्थर	24.86cum	14.68cum	10.18	885/-	9009/-
सामान्य (ईनाम राशि):- पुलिया मोड़ मन्दिर				**MB-312 पृष्ठ-35-38**	
रेत	8.50 cum	5.84 cum	2.66	2187/-	5817/-
बजरी	2.83 cum	2.28 cum	0.55	2406/-	1323/-
सामान्य (13th FC):- Drain and Path, Matal				**MB-333 पृष्ठ-15-16**	
रेत	2.12 cum	1.63 cum	0.49	2625/-	1286/-
बजरी	4.24 cum	3.26 cum	0.98	2625/-	2573/-
मनरेगा:- सम्पर्क मार्ग पाज्यो से रुग				**MB-312 पृष्ठ-46-49**	
बजरी	7.36 cum	2.65 cum	4.71	2412/-	11361/-
				राशि का अधिक आहरण/भुगतान	**39252/-**

(iii). तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से ₹0.24 लाख का अधिक भुगतान:- "परिशिष्ट-9"

मनरेगा योजना के अन्तर्गत विकास कार्य भूमी सुधार सुरेन्दर कुमार की जमीन पर **{विकास कार्य सूचि, मनरेगा, वर्ष 2014-15 क्रमांक: 6}** में **₹53130** का व्यय भुगतान दर्शाया गया था, जबकि उक्त कार्य का तकनीकी प्राधिकारी द्वारा **₹29,346** {MB-312 पृष्ठ संख्या:52} का मूल्यांकन किया गया था, अतः उक्त विकास कार्य के मूल्यांकन से अधिक किये ₹23784 के किये गए व्यय भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

13 मनरेगा योजना के अंतर्गत किये गए कार्यों से पाई गई अनियमितताएँ:-

(i) रोकड़ बही में दर्ज राशि व् ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंन्ट्स के अनुसार व्यय भुगतान में ₹12.00 लाख का भारी अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की मनरेगा योजना के अंतर्गत **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु किये गए भुगतान रोकड़ बही में दर्ज व्यय राशि में वितीय वर्ष **2014-15** में **₹12,00,133** का भारी अन्तर पाया गया, जिस बारे जाँच कर अन्तर के कारणों का पता लगाकर वास्तविक स्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए| उपरोक्त का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है;-

वर्ष	रोकड़ बही में दर्ज कुल व्यय भुगतान	ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल भुगतान	अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4) [3-2]
2014-15	346372/-	1546505/-	**1200133/-**

(ii) वितीय वर्ष 2015-16 व् 2016-17 में किये गए ₹20.16 लाख के ऑनलाइन भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करना:-

वितीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व् खर्च की गयी राशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था, जबकि उक्त अवधि में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई **Online Financial Statements** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो पर उक्त अवधि के दौरान निम्नतालिकानुसार ₹20,16,243 का Online भुगतान किया गया था| उक्त प्राप्ति व् भुगतान रोकड़ बही में दर्ज न होने के कारण न तो इन्हें वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ इनकी अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच की जा सकी | अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

वितीय वर्ष	मजदूरी का भुगतान	सामग्री पर व्यय	कुल भुगतान
2015-16	1176852/-	241000/-	1417852/-
2016-17	493591/-	104800/-	598391/-
कुल योग	**1670443/-**	**345800/-**	**2016243/-**
ऑनलाइन व्यय भुगतान जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया			**2016243/-**

14 विभिन्न व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं-

(i). बिना उचित बिल/वाउचर के ₹1.36 लाख का अनुचित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विक्रेता से उचित इनवॉइस/बिल पर सामग्री की खरीद न करके उनके द्वारा जारी GR नोट को पारित करके परिशिष्ट-9 अनुसार ₹136250 का भुगतान किया गया | अतः विक्रेता से उक्त भुगतान से सम्बन्धित उचित **Proper Invoice/Bill** व भुगतान प्राप्ति से सम्बन्धित उचित रसीद नियमानुसार प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए क्योकि **Goods Receipts Note {GR}** पर दर्शायी गई खरीद अनियमित है|

(ii) नियमों के विरुद्ध ₹2.00 लाख का अग्रिम भुगतान:-

IWMP योजना के अंतर्गत M/S STSN Shirgul को चैक संख्या 000361 द्वारा उनकी रसीद संख्या 13 दिनांक 19.11.2016 प्राप्त कर निर्माण कार्य Household Waste Recycling for Irrigation, Bhanat हेतु ₹200000 का भुगतान अग्रिम के रूप में दर्शाया गया, जिसका समायोजन उपरोक्त फर्म द्वारा कार्य हेतु उनके इनवॉइस संख्या 36 दिनांक 06.03.2017 द्वारा निर्माण सामग्री [150 मीटर {10kg} 90 mm HDPE पाइप @ 523.50 प्रति मीटर तथा 300 मीटर{10kg} 75 mm HDPE पाइप @ 378.25 प्रति मीटर] की आपूर्ति के उपरान्त लगभग 120 दिनों के अन्तराल के बाद किया गया जोकि अनियमित है, ऐसा करके पंचायत द्वारा सरकारी कोष को नुकसान तथा निजी फर्म को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया जिस बारे स्थित स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार से राशि के अग्रिम भुगतान पर रोक लगायी जाए |

15 बजट प्राक्कलन तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

16 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितताएँ बारेः-

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** का संधारण नहीं किया गया था जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त तथा उसके नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुक्स का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका | अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए |

(ख) रसीद बुक्स की पड़ताल के दौरान पाया गया की रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् , बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई , उन पर की गई कटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया गया था | अतः इस बारे स्पष्टीकरण दिया जाए व सुनिश्चित किया जाए कि उक्त त्रुटियों से पंचायत को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है |

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि माचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म ,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया जा रहा है , जो की अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार उक्त अभिलेख का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी |
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर |
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |

7. प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर|
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर|
9. स्टेशनरी रजिस्टर|
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर|
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर|
12. इन्वेंटरी रजिस्टर|

18 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये |

19 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है लघु आपतियों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया था |

20 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है|

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)31/2018 खण्ड–1 5205–5208 दिनांक 02.08.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत भाणत, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881